



डॉ० अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 08.03.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना – कोतवाली, जनपद आजमगढ़

न्यायालय के आदेश पर फरार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा व मुनादी की कार्यवाही

घटना का विवरण-

वादी सुदर्शन द्वारा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ पर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि विपक्षीगण द्वारा उसके साथ मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। उक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुहम्मदाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त मामले में नामजद अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित न होकर लगातार फरार चल रहे थे। इस पर माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषणा (Proclamation) जारी की गयी। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मु0नं0 9694/2022 वादी सुदर्शन बनाम सत्य प्रकाश से संबंधित प्रकरण में फरार चल रहे अभियुक्तों—

1. केदारनाथ वर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद वर्मा निवासी ग्राम कोंडर अजमतपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
 2. लौटूराम मौर्या पुत्र असमंजस मौर्या निवासी ग्राम कोंडर अजमतपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
- के विरुद्ध थाना कोतवाली पुलिस द्वारा न्यायालय के आदेशानुसार धारा 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा एवं मुनादी की कार्यवाही की गयी।

आज दिनांक 08.03.2026 को पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों के निवास स्थान ग्राम कोंडर अजमतपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ पर पहुंचकर न्यायालय के आदेशानुसार धारा 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा की गयी तथा गांव में मुनादी कराकर अभियुक्तों को नियत तिथि पर माननीय न्यायालय में उपस्थित होने की चेतावनी दी गयी। पुलिस द्वारा ग्रामीणों को भी अवगत कराया गया कि यदि अभियुक्त नियत समय में न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके विरुद्ध धारा 83 सीआरपीसी के अंतर्गत संपत्ति कुर्की की कार्यवाही भी की जा सकती है।

नोटिस चस्पा एवं मुनादी कराने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 शशी सिंह (चौकी प्रभारी) बदरका, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 रविन्द्र प्रताप यादव, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
3. हे0का0 धर्मेन्द्र चौधरी, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक – 08.03.2026

थाना – फूलपुर, जनपद आजमगढ़

पूर्व विवाद को लेकर हुई मारपीट के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण–

दिनांक 23.10.2025 को उ0नि0 उमाशंकर यादव मय हमराह हे0का0 अवधेश यादव व का0 आलोक सिंह के ग्राम कजराकोल पहुंचे, जहां जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि दिनांक 23.10.2025 को प्रातः लगभग 08:00 बजे प्रथम पक्ष के व्यक्ति— 01. हनुमान यादव पुत्र रामचन्द्र यादव 02. रवि यादव पुत्र हनुमान यादव 03. कवि यादव पुत्र हनुमान यादव 04. शिव यादव पुत्र रमेश यादव 05. पप्पू यादव पुत्र रमेश यादव जब अपने खेत पर गोबर फेंकने गए थे, उसी समय द्वितीय पक्ष के— 01. संतलाल गौड़ पुत्र समुझ 02. राजन पुत्र संतलाल 03. सोनू पुत्र संतलाल 04. शशिकला पत्नी संतलाल 05. सरिता पत्नी राजन गौड़ निवासी गण ग्राम कजराकोल थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा पूर्व में हुए विवाद को लेकर एक राय होकर हाथों में लाठी, डण्डा, लोहे की रॉड व फावड़ा आदि लेकर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से एक-दूसरे पर हमला कर दिया गया। दोनों पक्षों के बीच हुई इस मारपीट में कई लोगों को गंभीर चोटें आईं मौके पर मौजूद ग्रामीणों द्वारा बीच-बचाव कर दोनों पक्षों को अलग किया गया, जिससे बड़ी घटना होने से बच गयी। उक्त घटना के आधार पर थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 515/2025 धारा

191(2)/115(2)/109/351(3)/352 बीएनएस बनाम शिवकुमार यादव पुत्र स्व0 सुरेश यादव निवासी ग्राम कजराकोल थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 27 वर्ष आदि के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 वासुदेव मिश्रा, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण–

आज दिनांक 08.03.2026 को उ0नि0 वासुदेव मिश्रा मय हमराही कर्मचारीगण क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान वांछित अभियुक्त शिवकुमार यादव पुत्र स्व0 सुरेश यादव निवासी ग्राम कजराकोल थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 27 वर्ष को ग्राम कजराकोल के बाहर रामनयन यादव के पम्पिंग सेट के पास से समय लगभग 11:25 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

सम्बन्धित मुकदमा–

01. मु0अ0सं0 515/2025 धारा 191(2)/115(2)/109/351(3)/352 बीएनएस, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
आपराधिक इतिहास–

01. मु0अ0सं0 515/2025 धारा 191(2)/115(2)/109/351(3)/352 बीएनएस, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तार अभियुक्त–

01. शिवकुमार यादव पुत्र स्व0 सुरेश यादव, निवासी ग्राम कजराकोल थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 27 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 वासुदेव मिश्रा, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 विशाल गौड़, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक – 08.03.2026

थाना – फूलपुर, जनपद आजमगढ़

कूटरचित दस्तावेज के आधार पर नाम व जन्मतिथि बदलकर दूसरा पासपोर्ट बनवाने वाला अभियुक्त
गिरफ्तार

घटना का विवरण–

दिनांक 20.02.2026 को उ0नि0 दयानन्द द्वारा लिखित सूचना दी गयी कि पासपोर्ट धारक प्रमोद कुमार गौड़ पुत्र देवी चरन गौड़ निवासी ग्राम सदरपुर बरौली थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने नाम एवं जन्मतिथि में हेरफेर करते हुए पासपोर्ट बनवाया गया है। जांच में पाया गया कि अभियुक्त द्वारा प्रथम पासपोर्ट वर्ष 2007 से 2017 तक के लिए प्रमोद कुमार गौर पुत्र देवीचरन गौर, जन्मतिथि 30.04.1978 के नाम से बनवाया गया था। उक्त पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने पर दिनांक 14.08.2017 को पासपोर्ट नं0 R8236695 दिनांक 14.08.2017 से 13.08.2027 तक के लिए नवीनीकरण कराया गया। इसके पश्चात अभियुक्त द्वारा अपना नाम व जन्मतिथि परिवर्तित कर दूसरा पासपोर्ट नं0 C6288024 बनवा लिया गया, जो कि कूट रचना एवं भ्रामक तथ्यों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने की श्रेणी में आता है। उक्त तथ्य प्रकाश में आने पर थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 55/2026 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 12(1)(बी) पासपोर्ट अधिनियम बनाम प्रमोद कुमार गौड़ पुत्र देवी चरन गौड़ निवासी ग्राम सदरपुर बरौली थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 राजेन्द्र कुमार, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण–

आज दिनांक 08.03.2026 को उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराही कर्मचारीगण के साथ क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान वांछित अभियुक्त प्रमोद कुमार गौड़ पुत्र देवी चरन गौड़ निवासी ग्राम सदरपुर बरौली थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 43 वर्ष को उसके घर के बाहर ग्राम सदरपुर बरौली से समय लगभग 08:35 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

सम्बन्धित मुकदमा–

01. मु0अ0सं0 55/2026 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 12(1)(बी) पासपोर्ट अधिनियम, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 55/2026 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 12(1)(बी) पासपोर्ट अधिनियम, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

01. प्रमोद कुमार गौड़ पुत्र देवी चरन गौड़, निवासी ग्राम सदरपुर बरौली थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 43 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 वासुदेव मिश्रा, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 विशाल गौड़, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक : 08.03.2026

थाना रौनापार, जनपद-आजमगढ़

गो-तस्करी से जुड़े गिरोह के विरुद्ध पुलिस की सख्त कार्रवाई, 15 मुकदमों में संलिप्त गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

दिनांक 17.03.2025 को वादी मुकदमा चौकी प्रभारी महुला उ0नि0 विवेक सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर उपस्थित होकर गो-तस्करी से सम्बन्धित फर्द बरामदगी दाखिल की गयी, जिसमें 16 राशि बैल, 01 राशि गाय (जिन्दा), 07 राशि मृत बैल, 01 अदद ट्रक नं0 UP50AT5527 तथा 01 अदद मोबाइल फोन बरामद होने का उल्लेख किया गया। उक्त फर्द बरामदगी के आधार पर थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 94/2025 धारा 3/5क/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम बनाम ट्रक चालक नाम-पता अज्ञात व अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 प्रशान्त पाण्डेय द्वारा संपादित की गयी। दौरान विवेचना घटनास्थल निरीक्षण, फर्द बरामदगी व अन्य साक्ष्यों के संकलन के आधार पर निम्नलिखित अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आये—

1. रामचेत निषाद पुत्र स्व0 मोतीलाल निषाद निवासी ग्राम भोर्ना मकबूलपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़
2. मोहम्मद सलीम पुत्र शोएब निवासी ग्राम जयराजपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
3. सलमान पुत्र लईक अहमद निवासी ग्राम विसहम थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़
4. शमीम पुत्र नजीर उर्फ गुड्डू उर्फ अबुल वैश निवासी ग्राम जयराजपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना उपरांत आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। उक्त प्रकरण के संबंध में थानाध्यक्ष रौनापार श्री मंतोष सिंह द्वारा दिनांक 07.03.2026 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 51/2026 धारा 2(b)(17)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 08.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त—रामचेत निषाद पुत्र स्व0 मोतीलाल निषाद निवासी ग्राम भोर्ना मकबूलपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ को भीमवर पुलिया के पास से समय लगभग 09:10 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 51/2026 धारा 2(b)(17)/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त रामचेत निषाद पुत्र स्व0 मोतीलाल निषाद निवासी भोर्ना मकबूलपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध विभिन्न थानों पर कई अभियोग पंजीकृत हैं, जिनमें प्रमुख रूप से एनडीपीएस एक्ट, चोरी, आबकारी अधिनियम, आयुध अधिनियम, गो-तस्करी, गैंगेस्टर एक्ट एवं अन्य गंभीर धाराओं से संबंधित कुल 15 मुकदमे दर्ज हैं।

क्र0सं0 अ0सं0 धारा CS/FR थाना जनपद

- | | | | | |
|---|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------|
| 1 | 44/09 8/20 एनपीएस एक्ट | ए-14 दि0 30.01.2009 | कंधरापुर | आजमगढ़ |
| 2 | 115/20 379/411 भादवि | ए-140/20 दि0 03.12.20 | कंधरापुर | आजमगढ़ |
| 3 | 06/21 379/411 भादवि | ए-3/21 दिनांक 13.01.2021 | कप्तानगंज | आजमगढ़ |
| 4 | 06/22 60 आबकारी अधि0 | ए-9/22 दिनांक 28.01.2022 | कंधरापुर | आजमगढ़ |
| 5 | 186/22 25(1-ए) / 3 | ए-188/22 दि0 27.09.22 | कंधरापुर | आजमगढ़ |
| 6 | 50/23 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 | 1.ए-69/23 दि0 27.04.2023 | | |
| | 2.ए-69ए/23 दि0 24.05.2023 | | कंधरापुर | आजमगढ़ |
| 7 | 337/23 60 आबकारी अधि0 | ए-00/23 दि0 26.07.2023 | कोतवाली | आजमगढ़ |
| 8 | 278/23 3(1)यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट | ए-75/24 दि0 14.04.24 | कंधरापुर | आजमगढ़ |
| 9 | 126/24 8/20 एनडीपीएस एक्ट | ए-151/24 दि0 12.07.24 | कंधरापुर | आजमगढ़ |

10	174/24	380/411/457 भादवि0	ए-197/24 दि0 17.09.24	कन्धरापुर	आजमगढ़
11	229/24	308ए/317(2)/331(4) बीएनएस	ए-196/24 दि0 17.09.24	कन्धरापुर	आजमगढ़
12	251/24	3/25 आयुध अधि0	ए-270/24 दि0 10.12.24	कन्धरापुर	आजमगढ़
13	94/25	3/5क/8 गो0नि0आधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0	ए-140/25 दिनांक 15.05.25	रौनापार	आजमगढ़
14	100/25	3/25 आयुध अधि0	ए-99/25 दिनांक 15.04.25	रौनापार	आजमगढ़
15	255/25	3/25 आयुध अधि0	ए-263/25 दि0 17.09.25	कन्धरापुर	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. रामचेत निषाद पुत्र स्व0 मोतीलाल निषाद निवासी ग्राम भोर्गा मकबूलपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 चन्द्रदेव यादव, थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. का0 अखिलेश पाण्डेय, थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. का0 नागेन्द्र यादव, थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट, दिनांक - 08.03.2026

थाना - सिधारी, जनपद - आजमगढ़

**साइबर फ्रॉड में कटी ₹10,000 की धनराशि पुलिस की तत्परता से पीड़िता के खाते में करायी गयी वापस
साइबर ठगी के तरीकों से सावधान रहने एवं लोगों को जागरूक रहने की अपील**

घटना का विवरण-

आवेदिका कृतिका पाण्डेय पुत्री हरिशंकर पाण्डेय निवासी न्यू कॉलोनी पल्हनी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा साइबर शिकायत दर्ज करायी गयी कि पैसे के लेन-देन के दौरान गलत ट्रांजेक्शन हो जाने के कारण ₹10,000 की धनराशि गलत खाते में चली गयी। घटना की जानकारी होने पर आवेदिका द्वारा साइबर शिकायत संख्या - 23111250178580 दर्ज करायी गयी, जो थाना सिधारी पर प्राप्त हुई। शिकायत प्राप्त होने पर थाना सिधारी की साइबर टीम द्वारा साइबर सेल आजमगढ़ से तकनीकी सहायता प्राप्त कर त्वरित कार्यवाही की गयी, जिसके परिणामस्वरूप नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ₹10,000 की धनराशि पीड़िता के बैंक खाते में वापस करायी गयी। पीड़िता द्वारा पुलिस की त्वरित कार्यवाही के लिए आभार व्यक्त किया गया।

साइबर ठगी के सामान्य तरीके-

वर्तमान समय में साइबर अपराधी विभिन्न तरीकों से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से—

- फर्जी कॉल / बैंक अधिकारी बनकर कॉल कर OTP या बैंक डिटेल मांगना
- केवाईसी अपडेट या सिम बंद होने का झांसा देकर लिंक भेजना
- लॉटरी, इनाम या नौकरी का लालच देकर पैसे मांगना
- सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर पैसे मांगना
- फर्जी निवेश योजनाएं (Investment Scam)
- ऑनलाइन शॉपिंग या OLX फ्रॉड
- QR कोड स्कैन कराकर पैसे निकाल लेना

साइबर ठगी से बचाव के उपाय-

जनसामान्य को साइबर अपराध से बचने हेतु निम्न सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है—

- किसी भी अज्ञात व्यक्ति को OTP, ATM PIN, CVV, बैंक डिटेल या पासवर्ड साझा न करें।
- किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें।
- बैंक या सरकारी संस्था कभी भी फोन पर OTP या पासवर्ड नहीं मांगती।
- सोशल मीडिया पर आने वाले पैसे मांगने वाले मैसेज की सत्यता अवश्य जांच लें।

- मोबाइल या कंप्यूटर में अज्ञात ऐप डाउनलोड करने से बचें।
- किसी भी संदिग्ध लेन-देन की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।

साइबर अपराध होने पर क्या करें-

यदि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी का शिकार हो जाएं तो तुरंत—

□ साइबर हेल्पलाइन नंबर – 1930 पर कॉल करें।

□ वेबसाइट – www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

या अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन / साइबर हेल्प डेस्क पर संपर्क करें।

समय रहते शिकायत करने से धनराशि वापस मिलने की संभावना अधिक रहती है।

पुलिस टीम का विवरण-

1. उप निरीक्षक – विधनेश वर्मा, थाना सिधारी, आजमगढ़
2. उप निरीक्षक – नितीश सिंह, थाना सिधारी, आजमगढ़
3. कांस्टेबल – महेश कुमार, थाना सिधारी, आजमगढ़
4. कांस्टेबल – पवन गुप्ता, थाना सिधारी, आजमगढ़
5. महिला कांस्टेबल – रीना यादव, थाना सिधारी, आजमगढ़

प्रेस नोट, दिनांक – 08.03.2026

थाना – बरदह, जनपद – आजमगढ़

नाबालिग को बहला-फुसलाकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने व अश्लील फोटो/वीडियो वायरल करने के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण-

दिनांक 07.03.2026 को एक महिला द्वारा थाना बरदह पर सूचना दी गयी कि विपक्षी द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया तथा उसकी अश्लील फोटो/वीडियो बनाकर वायरल किया गया। जब उक्त महिला द्वारा इस सम्बन्ध में अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त द्वारा महिला व उसकी पुत्री को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज तथा जान-माल की धमकी दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0 73/2026 धारा 64, 352, 351(3) बीएनएस, 5L/6 पॉक्सो एक्ट, 67A आईटी एक्ट व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)V एससी/एसटी एक्ट बनाम अजय यादव पुत्र रामाशंकर यादव निवासी ग्राम दुबरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण / घटना का अनावरण-

प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना बरदह पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया गया। इसी क्रम में दिनांक 08.03.2026 को उप निरीक्षक रविन्द्र कुमार भारती मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अजय यादव पुत्र रामाशंकर यादव निवासी ग्राम दुबरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को जिवली तिराहा से समय करीब 12:50 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अजय यादव पुत्र रामाशंकर यादव, निवासी – ग्राम दुबरा, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त एक अदद मोबाइल फोन, जिसमें पीड़िता की फोटो/वीडियो वायरल करने से सम्बन्धित सामग्री पायी गयी।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 73/2026 धारा 64, 352, 351(3) बीएनएस, 5L/6 पॉक्सो एक्ट, 67A आईटी एक्ट व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)V एससी/एसटी एक्ट थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उप निरीक्षक – रविन्द्र कुमार भारती, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
2. उप निरीक्षक – संजय कुमार, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़